113

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी : रामचन्द्र खटीक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : प्रा०पत्र 55/2021 (2021/109)

अनवाद

1- कालूराम पिता छगनलाल मीणा निवासी मंगड़ियाकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

— प्रार्थी

बनाम

1- नानूराम पिता कालू रेगर निवासी मंगोरड़ा

2- रतनलाल पिता कालू रेगर निवासी मंगोरड़ा

3- चांदीबाई पुत्री कालू रेगर निवासी मंगोरड़ा पटवार हल्का अभयपुर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

4- श्रीमती पार्वती सुखवाल पत्नी सुधीर सुखवाल निवासी जिला चित्तौड़गढ़

5- राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

— विपक्षीगण

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 251(1) आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री मनसुखलाल पटवारी अधिवक्ता प्रार्थी
ब्रीफ होल्डर

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक 23/02/2023

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विरुद्ध विपक्षीगण प्रार्थना पत्र धारा 251(1) आर.टी.ए. इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की स्वामित्व-आधिपत्य उपयोग-उपभोग की खा एवं

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner

D34

खातेदारी की कृषि भूमि आराजी संख्या 262 मी. रकबा 0.60 है. प्रार्थी की अन्य आराजीयात के साथ ग्राम मंगोरडा प.ह. अमरपुर मे स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजी पर आने-जाने हेतु मौके पर कोई वैकल्पिक पर्याप्त चौड़ा रास्ता नही है। प्रार्थी वर्तमान मे विपक्षी संख्या 1 से 3 की आराजी संख्या 213, 214, 215, 216, विपक्षी संख्या 5 की आराजी संख्या 249, 251 तथा बिलानाम सरकारी भूमि आराजी नं. 212 से होकर आता जाता है, किन्तु रेकार्डेड रास्ता नही होने से विपक्षीगण प्रार्थी को उक्त आराजी मे आने जाने मे रूकावट पैदा करते है। अत: अपनी कृषि आराजी पर आने जाने के लिए उक्त रास्ते के उपयोग मे आने वाली विपक्षीगण की भूमि का मुआवजा निर्धारण कराया जाकर प्रार्थी से विपक्षीगण को दिलाया जावे एवं उक्त रास्ते की भूमि को राजस्व अभिलेख मे बिलानाम रास्ता अंकन कराने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। विपक्षी संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना पर्याप्त ~~समय~~ अवसर दिए जाने के बावजूद उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। तहसीलदार बस्सी से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बस्सी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी मे आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner

A35

उपलब्ध नही है। प्रार्थी के खातेदारी आराजी नम्बर 262 तक पहुंचने के लिए आराजी नम्बर 212, 214, 215, 216, 221, एवं 249, 251 मे से 272 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा कुल 1360 वर्ग मीटर रास्ता बनता है जिसकी डी.एल.सी. से दुगुनी राशि 109074.96 @ 109075.00 रुपए राशि बनती है। इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है, प्रस्तावित रास्ता सरकारी आ.नं. 212 बजेड नाली मे भी होकर गुजरेगा। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार विपक्षी संख्या 1 से 3 की आराजी संख्या 214, 215, 216 मे से क्रमशः 120, 110 एवं 300 कुल 530 वर्ग मीटर जिसकी राशि 42507.16 रु., विपक्षी संख्या 4 की आराजी संख्या 249, 251 मे से क्रमशः 300, 350 कुल 650 वर्गमीटर जिसकी राशि 52131.42 तथा सरकारी भूमि 212, 221 मे से क्रमशः 140, 40 कुल 180 वर्गमीटर भूमि जिसकी कीमत क्रमशः 11228.30, 3208.08 कुल 14436.38 रुपए यानि कुल 109074.96 रुपए 1360 वर्गमीटर भूमि की कीमत बनती है। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण मे तहसील कार्यालय से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार विपक्षीगण को प्रस्तावित रास्ते की कीमत का भुगतान किया जाकर प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किए जाने का आदेश प्रदान कराने बाबत् निवेदन किया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

हमने पत्रावली का अवलोकन / अध्ययन कर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर गहनता से मनन किया प्रकरण मे विपक्षीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का खण्डन प्रस्तुत

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

A36

नहीं हुआ है। तहसीलदार बस्सी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट उचित एवं स्पष्ट है। अतः हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार बस्सी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम मंगोरडा प०ह० अमरपुर की आराजी संख्या 262 मी. रकबा 0.60 हे. भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता कायम करने बाबत् ग्राम मंगोरडा में विपक्षी संख्या 1 से 3 की आराजी संख्या 214, 215, 216 में से क्रमशः 120, 110 एवं 300 कुल 530 वर्गमीटर भूमि की डी.एल.सी दर से दो गुना राशि 42507.16 रुपए विपक्षी संख्या 4 की आराजी संख्या 249, 251 में से क्रमशः 300 व 350 कुल 650 वर्गमीटर भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुना राशि 52131.42 रुपए तथा सरकारी आराजी नम्बर 212, 221 में से क्रमशः 140 व 40 कुल 180 वर्गमीटर की डी.एल.सी. दर से दो गुना राशि 14436.38 रुपए यानि कुल 1360 वर्गमीटर भूमि कीमत 109074.96 रुपए का भुगतान सम्बन्धित खातेदार को किए जाने पर आराजी संख्या 214, 215, 216 में से 530 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 249, 251 में से 650 वर्गमीटर तथा आराजी नम्बर 212, 221 में से 180 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज किए जाने की स्वीकृति दी जाती है एवं उक्त भूमि को किस्म रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। प्रार्थी को आदेश दिए जाते है कि विपक्षी संख्या 1 से 3 को 42507.16 रुपए के भुगतान हेतु उनके हिस्से अनुसार राशि के एवं विपक्षी संख्या 4 को 52131.42 रुपए का भुगतान हेतु एवं सरकारी भूमि की कीमत 14436.38 रुपए के भुगतान हेतु तहसीलदार बस्सी के नाम के अलग-अलग ड्राफ्ट बनाकर तहसीलदार बस्सी के मार्फत भुगतान किए जाने हेतु प्रस्तुत करें।

सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ / जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner

A37

उक्तानुसार ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर सम्बन्धित को भुगतान हेतु एवं सरकारी भूमि की कीमत राजकोष मे जमा कराने हेतु तहसीलदार बस्सी को प्रेषित कर राजस्व अभिलेख मे अमल हेतु मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा जिसमे प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है, की प्रति निर्णय की प्रति के साथ संलग्न प्रेषित कर लिखा जावे कि सम्बन्धित को भुगतान करने एवं सरकारी भूमि की कीमत राजकोष मे जमा कराने के पश्चात राजस्व रेकार्ड मे प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज कर मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शे अनुसार रेकार्ड मे तरमीम किया जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
जिला चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते

Scanned with AnyScanner